फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अम्बालाल बनाम विपक्षी श्रीमती बबुडी

किस्म मुकदमा – 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया सहिता पत्रावली संख्या : 33/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा विपक्षी की तरफ से वकालत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता विपक्षी अनुपस्थित। प्रकरण विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब नहीं देना बताया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण संख्या 118/22 में दिनांक 11.01.2024 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से पाया की मूल प्रकरण संख्या 118/22 अनवान अम्बालाल बनाम बबुडी में दिनांक 11.01.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः देरी की अवधि कण्डोन किया जाता हैं। प्रार्थी के कथनानुसार पेशी दिनांक 11.01.2024 को प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा पेशी की दिनांक 11.01.2024 के स्थान पर दिनांक 11.02.2024 नोट कर ली जिससे अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया जिससे मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थीगण पेशी दिनांक 11.01.2024 को अनुपस्थित रहे जो प्रार्थीगण की लापरवाही का घोतक हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण का हित निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 118/22 अनवान अम्बालाल बनाम बबुडी में आदेश दिनांक 11.01.2024 को अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:35:29 IST
Reason: SelfAttested